संख्या-5/2025/वे0आ0-2-237/दस-2025-ई0प0सं0-10-27099/13/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 14 मई, 2025**

विषय : वेतन समिति (2016) के तृतीय प्रतिवेदन (भाग-4) द्वारा उ०प्र० सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्मिकों के संबंध में प्रदान की गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) के तृतीय प्रतिवेदन (भाग-4) के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर दी गयी संस्तुतियों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संस्तुतियों पर निम्नवत निर्णय लिये गये हैं :-

(1) वेतन समिति (2016) की निम्नलिखित संस्तुतियों के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा पुन: पृथक से प्रस्ताव संदर्भित किया जाय -

(i) हिन्दी प्रभाग में अनुभाग अधिकारी (हिन्दी) तथा अनुभाग अधिकारी (उर्दू) की अलग-अलग ज्येष्ठता सूची बनायी जाय।

(ii) अनुसचिव (भाषा) के पद पर अनुभाग अधिकारी (हिन्दी) एवं अनुभाग अधिकारी (उर्दू) की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची से पदोन्नति की जाय।

(2) प्रशासकीय विभाग से विचारोपरांत यह औचित्यपूर्ण पाया गया कि मोटर साईकिल चालकों को मृत संवर्ग कर दिया जाये।

(3) सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा बतायी गयी कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत सचिवालय सेवा संवर्ग में विशेष सचिव के उपलब्ध पदों के अतिरिक्त 08 पद की वृद्धि कर ली जाय।

2- प्रशासकीय विभाग द्वारा उपर्युक्त संशोधित व्यवस्थाओं का समावेश यथाशीघ्र संगत सेवा नियमावली में कर लिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2025/वे0आ0-2-237(1)/दस-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल।

आज्ञा से,

पुष्पराज,

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।